कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 06 / 2024

श्री नीरज कुमार दीक्षित, निवासी मौहल्ला गोपालगढ़, भरतपुर मो. नं. 9414896464

......अपीलार्थी

बनाम

उपखण्डाधिकारी भरतपुर

......रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश दिनांक 19.02.2024

अपीलार्थी श्री नीरज कुमार दीक्षित, निवासी मौहल्ला गोपालगढ़, भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यह अपील लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी भरतपुर द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / कोर्ट / 23 / 56 दिनांक 29.01.2024 से उपखण्डाधिकारी भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराने अथवा नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस बाबत उपखण्डाधिकारी भरतपुर का जबाब पत्र क्रमांक / सू. का.अ. / 2024 / 251 दिनांक 06.02.2024 प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपनी अपील में अंकित किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराया जाना कानून के प्रावधानों के प्रतिकूल है इसके अतिरिक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन शुल्क राशि 10 /– रुपये के पोस्टल ऑडर को कार्यालय में रख लिया गया है जिसे वापिस दिलाया जावे।

..........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

(2) नीरज कुमार दीक्षित बनाम एस.डी.ओ. भरतपुर
अपील / आरटीआई / 06 / 2024

उपखण्डाधिकारी भरतपुर से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी भरतपुर ने अपने जवाब पत्रांक 251 दिनांक 06.02.2024 में अंकित किया है कार्यालय के पत्रांक सू.का.अ./ 2023 / 2743 दिनांक 25.10.2023 से प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है कि:—

> ''.......... आप द्वारा चाही गई सूचनायें इस कार्यालय में संधारित नहीं होने के कारण सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है.........।''

इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी के पास संधारित नहीं है इसलिए सूचना दिया जाना संभव नहीं है। निर्धारित समयावधि में प्रार्थी / अपीलार्थी को सूचना के सम्बन्ध में सूचित किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम में 2005 में परिभाषित है :—

> **''सूचना''** से किसी भी रुप में कोई भी सामग्री अभिप्रेत है, जिसके अन्तर्गत अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई—मेल,राय, सलाह, प्रेस सूचना, परिपत्र, आदेश, लोगबुक, संविदा, रिर्पोट, कागजात, नमूने, मॉडल, किसी इलैक्ट्रोनिक रुप में रखी गयी डाटा सामग्री और ऐसे किसी भी प्राइवेट निकाय से संबंधित सूचना जिस पर तत्समय प्रवृत किसी भी अन्य विधि के अधीन लोक प्राधिकारी की पहुंच हो,............।''

जहाँ तक प्रश्न आवेदन फीस 10 / — रुपये पोस्टल आर्डर लौटाने का है, यह आवेदन शुल्क 10 / —पोस्टल आर्डर, प्रार्थी द्वारा राजस्थान सूचना का अधिकार नियम 2005 के नियम 3 के तहत द्वारा देय शुल्क है जो लोक सूचना अधिकारी ने राजकोष में जमा कर लिया गया है।

अतः प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को एवं उपखण्डाधिकारी भरतपुर को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट न होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर